संख्या-22/2024/483/30-3-24-06बी/2014टीसी-।।

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 11 मार्च, 2024

विषय:- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 15-05-2023 में अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु राजस्व पक्ष के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अग्रिम आहरण के रूप में व्यय हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-50स0सु0/2024-08स0सु0/2021-23(VOl-II), दिनांक 15 जनवरी, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-95/2023/1731/30-3-2023-1638129, दिनांक 18-07-2023 की तालिका क्रमांक-1(ख) पर अंकित धनराशि रू0 369.50 लाख में से शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 के पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 12-05-2023 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कुल 25,000 विद्यालयों) की दीवारों पर 1x15 मी0 (1.5मी0^2) के आयताकार आकार में यातायात के सामान्य नियमों को लिखवाये जाने हेतु वांछित धनराशि रू0 125.00 लाख (रू0 एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) का अग्रिम भुगतान किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।
(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकार कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी उत्तरदायी होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
(3) पूर्व में दी गई समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2024 तक अवश्य कर दिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकर के पुस्तांकित ऑकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासन को तदनुसार अवगत कराया जाना होगा।
(4) किसी भी अन्य अग्रिम के भुगतान के लिए शासन/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जानी होगी।
(5) धनराशि के व्यय में सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्रावधान किया गया है।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 22/2024/483(1)/30-3-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।